रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939
No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2018

सं. मा.सं.प्र./56/2016/आयुक्त संवर्ग.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) भर्ती नियम, 2013 में संशोधन हेतु, एतद्द्वारा केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. (1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) भर्ती (संशोधित) नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) भर्ती नियम, 2013 में,

   (क) नियम 2 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

   "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

   (ख) अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)	11* (2018) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'क' गैर- अनुसचिवीय	लेवल-14 (1,44,200-2,18,200 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 80% पदोन्नति द्वारा, (ii) 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
(i) **पदोन्नति:** लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600 रुपये) में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मूल पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी। ऐसा न होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ग्रुप 'क' में चौबीस वर्ष की नियमित सेवा वाले अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मूल पद पर सेवारत अधिकारी (ii) **प्रतिनियुक्ति:** संयुक्त सचिव के पद पर सेवारत भारत सरकार का अधिकारी या जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर पर पद धारण करने योग्य है।	**विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-** i. सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय: —अध्यक्ष ii. अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : —सदस्य iii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त: —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।"

डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन III/4/असा./476/2017-18]

नोट : दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को संख्या मा.सं.वि./1(1)2011/कैडर रीस्ट्रक्चरिंग/भाग-1 के तहत मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग-III, धारा 4 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2018

No. HRD/56/2016/RR/Commissioner Cadre.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, Employees' Provident Fund, hereby makes the following rules to amend the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner (Headquarters) Recruitment Rules, 2013,

(a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2.Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(b) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.)	11*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A' (Non-Ministerial)	Level – 14 (Rs. 1,44,200 – 2,18,200)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	(i) Eighty per cent. by promotion (ii) Twenty per cent. by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
(i) **Promotion:** Officers holding the substantive post of Additional Central Provident Fund Commissioner grade in Level-13A (Rs.1,31,100 – 2,16,600) having four years' regular service in the grade; Failing which officers holding the substantive post of Additional Central Provident Fund Commissioner grade in Level-13A (Rs.1,31,100 – 2,16,600) having twenty four years regular service in Group 'A' in Employees' Provident Fund Organisation. (ii) **Deputation:** Officers of the Government of India holding the post of Joint Secretary or Officers eligible to hold the post at the level of Joint Secretary to the Government of India.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (a) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment – Chairman. (b) Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment – Member. (c) Central Provident Fund Commissioner – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary."

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and

Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./476/2017-18]

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, *vide* number HRD/1(1)2011/Cadre Restructuring/Pt.1 dated the 18th December, 2013.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.16 22:09:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.